राजकीय दुग्ध पर्यवेक्षक, डेरी विकास के सामान्य कर्तव्य एवं दायित्व का विवरणः–

1. प्राथमिक नई दुग्ध समितियों का गठन एवं पुनर्गठन करना, उसके निबन्धन कराने हेतु समिति स्तर पर कार्यवाही कराना,
2. आवंटित दुग्ध समितियों का दैनिक भ्रमण व पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना, समिति स्तर पर समस्त अभिलेखों को समय तैयार कराना तथा वांछित प्रगति विवरणों को सहायक निदेशक/उच्चाधिकारी के कार्यालय को प्रेषित करना,
3. समिति स्तर पर समय लेखा परीक्षक/चार्टर्ड एकाउन्टैन्ट (यथास्थिति) द्वारा ऑडिट करवाना, ऑडिट आपत्तियों का निस्तारण करवाना तथा बोनस वितरण सुनिश्चित कराना,
4. समिति स्तर पर समय–समय पर बैठक आयोजित कराना तथा प्राथमिक दुग्ध समिति स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर एवं जनपद स्तर विभिन्न बैठकों में प्रतिभाग करना,
5. दुग्ध समितियों में खुली बैठक आयोजित कराकर दुग्ध विकास कार्यक्रमों/संचालित योजनाओं (गंगा गाय महिला डेरी योजना, दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन योजना, जिला योजना आदि) के अन्तर्गत मुहैया करायी जा रही सुविधाओं/अनुदान तथा विभाग/संस्था द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं के संबंध में आवंटित दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को अवगत कराते हुए योजनान्तर्गत लाभार्थी चयन कर वांछित सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराना,
6. दुग्ध समिति स्तर पर वित्तीय मामलों से संबंधित प्रकरण पर वित्तीय अनियमितता पर नियंत्रण तथा मितव्ययता बरतने हेतु आवश्यक नियंत्रण रखना,
7. समिति स्तर पर जनसंपर्क कर दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने हेतु प्रेरित करना,
8. समय–समय पर दुग्ध समिति के सचिव, प्रबंध कमेटी सदस्यों, दुग्ध उत्पादकों को समिति स्तर पर मिलावटी दुग्ध के संबंध में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराना, तकनीकी ज्ञान प्रदान करना तथा दुग्ध व्यवसाय संबंधी आधुनिक तकनीकी ज्ञान हेतु प्रशिक्षण करवाना,
9. प्राथमिक दुग्ध सहकारी समिति की उपविधियों तथा उत्तराखण्ड सहकारी समिति अधिनियम, 2003 सहपठित नियमावली, 2004 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार, समिति स्तर पर प्रबंध कमेटी सदस्यों एवं/सभापति/उपसभापति/प्रतिनिधियों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के संबंध में जागरूक करना,

निदेशक
डेरी विकास उत्तराखण्ड
रानीबाग (नैनीताल)

Scanned by CamScanner

10. आवंटित दुग्ध सहकारी समि तेयों में ससमय निर्वाचन हेतु मतदाता सूची तैयार कराकर सक्षम स्तर पर प्रेषित करते ह ए निर्वाचन संबंधी आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराना,
11. दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल् का भुगतान तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि का भुगतान ससमय सुनिश्चित कराना,
12. जनपद स्तर पर सहायक नि देशक के नियंत्रण में रहते हुए विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करना तथा समय–स मय पर उच्चाधिकारियों/सक्षम स्तर/सहायक निदेशक कार्यालय स्तर से निर्गत नि र्देशों का ससमय अनुपालन सुनिश्चित करना।

निदेशक
क्षीरी विकास उत्तराखण्ड
हल्द्वानी (नैनीताल)

Scanned by CamScanner